न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

जीवाराम पुत्र मांगीलाल

जाति मेगवाल नि. [illegible]

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

सोनाराम पुत्र मांगीलाल

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री जीवाराम स्वयं वादी।
2. श्री सोनाराम प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 12-10-21

वादी के द्वारा वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 451/306 रकबा 9-10 बीघा, सरहद मौजा [illegible] तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम उजमाराम होने से राजस्व रेकर्ड में उजमाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 752648235446 जन आधार कार्ड संख्या α मतदाता परिचय पत्र संख्या RJ23/176451292 राशन कार्ड संख्या 15013 जीवाराम पुत्र मांगीलाल [illegible] बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त [illegible] कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड [illegible] उजमाराम के स्थान पर जीवाराम सही नाम घोषि[illegible] करवाने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:29 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ....उजलाराम.............. के स्थान पर ....जीवाराम........ दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ....तहसीलदार 4-4-54.... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ....451/306.... रकबा ....9.02.... बीघा, सरहद मौजा ....जागेलावा.... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ....उजलाराम.... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ....4-4-54.... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ....उजलाराम.... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ....जीवाराम.... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ....451/306.... रकबा ....9.02.... बीघा, सरहद मौजा ....जागेलावा.... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....उजलाराम.... पुत्र ....मोतीलाल.... के स्थान पर ....जीवाराम.... पुत्र ....मोतीलाल.... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ....12-10-2021.... को कोर्ट केम्प कोर्ट....जागेलावा.... में मजमे आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(SDO) बालोतरा

(नरेश सोनी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code Appendeix 'd' 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट......जानियाना

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
जीवाराम पुत्र मांगीलाल जाति मेगवाल नि-जानियाना तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		सोनाराम पुत्र मांगीलाल राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री जीवाराम ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री सोनाराम व...... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ....45/306....... रकबा ....9.02.......... बीघा, सरहद मौजा जानियाना .... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......उजमाराम........ पुत्र ....मांगीलाल .... के स्थान पर ....जीवाराम........ पुत्र ....मांगीलाल.... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...12.10.2021 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुम्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प अरजी महताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत ... हुम... मुतफरिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner